


३०.११.२५ पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपस्थित। तहसीलदार
से ग्राम रिपोर्ट अनुसार बक्षकारों का खाता विभाजन होकर
इन्तकाल हो चुका है। प्रमाण खातिज घोष्य है। अतः
प्रमाण में कोई कर्षवाही शेष नहीं होने के कारण
इसी स्तर पर खातिज किया जाता है। पत्रावली का
तरीख तहसील होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखना जकार बुले न्यायालय से सुनाया गया।


(प्रिया बजाज)
R.A.S.